

प्रेषक,

डा० अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ
ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,

श्री आर०के०चडढा
संयुक्त निबंधक (प्रशासन-प्रथम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

सन्दर्भ:- 16775/चतुर्थ -2475 /प्रशासन (ए) इलाहाबाद दिनांकित 19 नवम्बर 2019

पत्रांक 335/20 प्रशासन न्याय विभाग अमरोहा दिनांक 28-2-2020

विषय:- स्वयं का पेंशन प्रकरण प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में:-

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराना है कि मैं दिनांक 31.05.2020 को अधिवर्षिता पूर्ण करने पर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित पत्र के अनुपालन में स्वयं का पेंशन प्रकरण तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 776/दो-4-2019-45(3) /2015 लखनऊ दिनांक 17 दिसम्बर 2019 में दिनांक 01.01.2016 के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारीगण को वेतन एवं उस पर अनुमन्य अंतरिम राहत को जोड़कर पेंशन एवं सेवानैवृत्तिक लाभ दियेने की व्यवस्था दी गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में पेंशन प्रकरण में 30 प्रतिशत अंतरिम राहत को जोड़कर पेंशन प्रकरण तैयार किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे दिनांक 31.05.2020 को न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रखने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक

1/2/20
29.2.20

भवदीय

[Signature]

(डा० अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ)
ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा।

उपपद न्यायाधीश
अमरोहा

संलग्नक:-

- 1- पेंशन प्रकरण तीन प्रतियों में बन्धपत्र सहित
- 2- अंतिम पाँच वर्ष के अदेय प्रमाण-पत्र
- 3- कार्यालय महालेखाकार द्वारा निर्गत मोटरवाहन अग्रिम के अदेय प्रमाण-पत्र की छाया प्रति

भाग-1
पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र
(फार्म भरने से पूर्व भग 6 में उल्लेखित निर्देश पढ लिये जायें)

सेवा में,

श्री आर०के०चतुर्वेदी
संयुक्त निबंधक (प्रशासन-प्रथम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् हैं मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण करने की कृपा करें।

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1- नाम | डा० अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ |
| 2- पिता / पति का नाम | श्री सीता राम सिंह |
| 3- सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता :-
(क) (स्थायी निवास) | बी-42
सेक्टर- 20
नोएडा, गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश |
| (ख) पत्र व्यवहार का पता | बी-42
सेक्टर- 20
नोएडा, गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश |
| 4- जन्म तिथि | 31 मई 1960 |
| 5 - सेवा प्रारम्भ करने की तिथि | 06 अक्टूबर 1990 |
| 6 - सेवा निवृत्ति की तिथि | 31 मई 2020 |
| 7- अन्तिम पद , जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम
कार्यालय एवं विभाग का नाम | ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा। |
| 8- मृत्यु होने की दशा में नामनी का नाम एवं पता जिसे
जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय | श्रीमती अंजली सिंह |
| 9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका
राशिकरण अपेक्षित है। | 50% |
| 10- भुगतान जिस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं। | गौतमबुद्ध नगर |

Am
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
28 FEB 2020

कं० सं०	परिवार का विवरण परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली सिंह	31.05.1960	पत्नी	विवाहित	बी-42 सेक्टर-20, नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश
2	श्री एशवर्य प्रताप सिंह	11.12.1988	पुत्र	विवाहित	बी-42 सेक्टर-20, नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश
3	कु० अनन्या सिंह	28.01.1998	पुत्री	अविवाहित	बी-42 सेक्टर-20, नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश


भवदीय / भवदीया,


(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

28 FEB 2020

घोषणा


मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उर्पयुक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार के पेन्शन / सेवा ग्रेव्यूटी, सेवानिवृत्त ग्रेव्यूटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भलीभांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उर्पयुक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापिस करनी होंगी। मैं बतान देता हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जानें में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा।


सरकारी सेवक के हस्ताक्षर


28 FEB 2020

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये
(यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए
जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1- नाम - शंकर लाल
पदनाम - अपर जिला जज / अनन्य वर्ग पाठक
पता - अमरोहा

हस्ताक्षर 

2- नाम - अरविंद सिंह
पदनाम - अपर जिला जज / विशेष अवर व्यापक
पता - अमरोहा

हस्ताक्षर 

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

जनपद व्यापार
अमरोहा

28 FEB 2020

प्रपत्र-2
अन्तिम देय प्रमाण-पत्र

प्रेषक,
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,
श्री आर0के0चतुर्वेदी
संयुक्त निबंधक (प्रशासन-प्रथम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्रांक दिनांक

विषय:- पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण-

महोदय,

इस कार्यालय के श्री अशोक कुमार सिंह के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या.....दिनांक.....द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित जा रहे हैं। उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.05.2020 को कार्यभार छोड़ने वाले हैं।

2- उपरोक्त अधिकारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/निम्न परिवर्तन हुआ है-

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का आगणन-
माह का नाम

परिलब्धियां

..... 05/2020.....	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
..... 04/2020	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
... 03/2020	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
02/2020.....	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
01/2020..	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
.....12/2020.	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
..... 11/2019	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
10/2019.....	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
09/2019	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
08/2019.	71830+30 % अन्तरिम सहायता	21549 अन्तरिम सहायता
योग		933790-00

1-

औसत परिलब्धियां

933790

10

= 93,379.00


जनपद न्यायाधीश
अमरोहा

28 FEB 2020

भाग-4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नामडा० अशोक कुमार सिंह- चतुर्थ, जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, अमरोहा।

कमांक है	कब से कब तक	पद का नाम जिस पर कार्य किया सहित अवकाश साधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियों भी अंकित की जाये	स्तम्भ 3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेन्शनयुक्त नहीं तो कारण सहित इराका दिया जाये।
1	2	3	4	5
01.	06-01-1990 - 15-08-1994	अति० मुंसफि, इलाहाबाद ।		
02.	15-08-1994 - 15.08.1994	न्यायिक मजि०, इलाहाबाद ।		
03.	15-08-1994 - 15-06-1995	अति० मुंसफि, इलाहाबाद ।		
04.	17-06-1995 - 04-05-1999	मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।		
05.	04-05-1999 - 26-05-1999	सिविल जज (जू०डि०) कानपुर नगर ।		
06.	27-05-1999 - 27.06.1999	सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद ।		
07-	28.06.1999 - 07.04.2000	सिविल जज (जू०डि०) गौतमबुद्ध नगर ।		
08-	08.04.2000-31.05.2000	अति० मुख्य न्यायिक मजि० गाजियाबाद ।		
09-	06.06.2000-08.06.2001	अति० मुख्य न्यायिक मजि० (रेलवे) ।		
10-	09.06.2001-14.06.2001	सिविल जज (सी०डि०) गौतमबुद्ध नगर ।		
11-	14.06.2001 - 17.02.2004	मुख्य न्यायिक मजि० गौतमबुद्धनगर ।		
12-	17.02.2004 - 04.06.2004	अति० मुख्य न्यायिक मजि० गौतमबुद्धनगर ।		
13-	04.06.2004 - 07.06.2004	मुख्य न्यायिक मजि०, गौतमबुद्धनगर ।		
14-	14.06.2004 - 07.08.2004	अति० मुख्य न्यायिक मजि०, सुल्तानपुर ।		
15-	12.08.2004 - 07.12.2004	सिविल जज (सी०डि०) ईटावा ।		
16-	08.12.2004- 06.06.2005	अति० मुख्य मैट्रोपोलिटन मजि० कानपुरनगर ।		
17-	23.09.2005 - 26.09.2005	जजेज स्माल कॉसेस कोर्ट -कानपुर नगर ।		
18-	26.09.2005 - 06.06.2006	मुख्य मैट्रोपोलिटन मजि० कानपुरनगर ।		
19-	23.09.2005- 26.09.2005	जजेज स्माल कॉसेस कोर्ट -कानपुर नगर ।		
20-	26.09.2005 - 06.06.2006	मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ।		
21-	07.06.2006- 06.06.2009	अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर ।		
22-	08.06.2009- 18.08.2009	अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद ।		
23-	18.08.2009 - 16.03.2011	विशेष न्यायाधीश, (एन्टी करप्शन) ।		
24-	16.03.2011- 15.04.2014	स्पेशल जज, सी०बी०आई० कोर्ट-नं०-1 गाजियाबाद ।		
25-	17.04.2014 - 15.04.2015	अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाबाईनगर ।		
26-	17.04.2015 - 30.05.2015	अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी ।		
27-	30.05.2015 - 07.05.2016	स्पेशल जज एन्टी करप्शन ।		
28-	07.05.2016 - 05.01.2017	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी ।		
29-	05.01.2017 - 01.11.2017	स्पेशल जज एस०सी०एस०टी० एक्ट, वाराणसी ।		
30-	26.04.2018- 01.08.2018	अति० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर ।		
31-	02.08.2018 - 07.03.2019	अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर ।		
32-	08.03.2019 - 06.06.2019	जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सम्मल स्थित चन्दौसी ।		
33-	13.06.2019 - निरन्तर	जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, अमरोहा ।		

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
28 FEB 2020

भाग-5
(कार्यालयध्यक्ष के उपयोग हेतु)

1- सरकारी सेवक का नाम	डा0 अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ		
2- सरकारी सेवक की जन्म तिथि 31- मई-1960.....		
3- सरकारी सेवा में आने की तिथि	06-अक्टूबर-1990		
4- सेवानिवृत्ति की तिथि	31- मई-2020		
5- कुल अवधि (4-3)	वर्ष	मास	दिन
	29	07	25
6- सेवा जो पेंशन के लिए अनर्ह है, की अवधि			
7- अन्य सेवा यदि कोई हो जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया है	निल		
8- पेंशन अनर्ह सेवा:-			
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा	:		
(ख) सेवा में विच्छेद	:	निल	
(ग) पेंशन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि	:		
(घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो	:	निल	
(कारण सहित उल्लेख किया जाये)	योग	निल	
9- पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि	29 वर्ष	07 माह	25 दिन
(5 +6+ 7 +8)	या 59 छहमाहियाँ		
10- पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता पेंशन		
11- सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9 (21) (1)में परिभाषित वेतन	मूल वेतन -71830-00		
12- औसत परिलब्धियों का आगणन : अन्तिम दस माह में प्राप्त परिलब्धियां			
धारित पद	दिनांक से तक	परिलब्धियां मूल नियम 9 (21) 1) परिभाषित	अन्य
जनपद न्यायाधीश अमरोहा	01/08/19 से लगातार	71830+ अन्तिरम सहायता 21549 X 10 10	
	अन्तिम दस माह का औसत	93379-00	
13- पेंशन का आगणन:-	1- अन्तिम दस माह का औसत का आधा	$\frac{93379-00}{2}$	
		= 46,689.50 अर्थात् 46,690-00	
	2- अन्तिम मूल वेतन का आधा-	$\frac{71830+21,549}{2}$	
		= 46,689.50 अर्थात् 46,690-00	
	पेंशन धारक को लाभप्रद - 46,690-00		

Amr
जनपद न्यायाधीश
अमरोहा

28 FEB 2020

14- सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन
(पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर
पेंशन के स्थान पर अनुमन्य

निल

15- सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी का आगणन मूल वेतन 71,830 + अन्तरिम सहायता 21,549 +164% महगाई भत्ता 1,17,801x59

4

31,14,905-00 रूपए (इक्तीस लाख चौदह हजार नौ सौ पाँच) मात्र
अपुनरीक्षित वेतनमान में सेवानिवृत्ति उपादान राशिकी अधिकतम सीमा 10,00,000-00
रूपए (दस लाख) मात्र

16- मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती

निल

17- शुद्धसेवा सेवानिवृत्त उपादान धनराशि

10,00,000-00 रूपए (दस लाख) मात्र

18- पारिवारिक पेंशन का आगणन

(क) सामान्य दर

निल

(ख) पारिवारिक पेंशन की बढी हुई दर

निल

19- सेवानिवृत्ति पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का तिथि

01 जून 2020

20- पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है

50 प्रतिशत

21-राशिकृत मूल्य का आगणन

23,345X 8.194 x12

= 22,95,467-00 रूपए(बाईस लाख पिचयानवें हजार चार सौ सडसठ) मात्र

22 राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रू0

निल

23- कोषागार का नाम जहां से पेन्शन ,
ग्रेच्युटी / राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेगे।

अमरोहा।

24- अन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन
(यदि कोई स्वीकृत की गई हो)

जी नहीं

25- अन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी

जी नहीं (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)

26- पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात दिनांक
(यदि तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-

(1) भवन निर्माण में से रू0 X की धनराशि देना शेष है / कोई धनराशि शेष है।

(2) मोटर कार / मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड आदि अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक X..... तक रू0 X..... की धनराशि किराये के रू0 में अवशेष है / कोई धनराशि अवशेष नहीं है। तथा सेवानिवृत्तिके दिनांक X.....तक रू0X..... और देना शेष रह जायेगा।

(5) आडिट के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।

(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रू0 X..... की कोई धनराशि देय नहीं है।

(8) डा0 अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ के विरुद्ध कोई न्यायिक / वैभागीक अथवा प्रशासनिक जांच लम्बित नहीं है। (यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाये)

(विभागाध्यक्ष / कार्यालय निदेशक (अभरोहा)
जनपद अमरोहा
पद का नाम

28 FEB 2020

Enclosure-1

THIS DEED OF INDEMNITY IS MADE ON THE 28 DAY OF February Corresponding to Saka Samwat the 28 day of February 2020 by **Dr. Ashok Kumar Singh S/o Shri Seeta Ram Singh** resident of **B-42, Sector 20, Noida Uttar Pradesh**. In Favour of GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called the Governor) -----whereas.

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the Governor) as District Judge, Amroha.
2. The bounden above named has retired /is due for retiemnt on 31-05-2020.
3. A No Demand Certificate is required to be issued in favour of bounded by Head of Department before sanction of pension, gratuity etc. to the bounder but the said cetificate could not be issued so for and the scrutiny of records for the purpose is likely to take further time.
4. The Government is willing tosanction pension and gratuity tec.to the bounden oncondition that the bounden shall execute a bond being these presents to indemnity and save harmless the Governmentfromany loss which the Government may incur by reason of any moneys founddue against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden. Now this deed witnesses.
 - (1) In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity etc. to this Bounden before issue of No Demand Certificate in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered within a period of two years from the date of the bounden, to be due agains him.
 - (2) Any amount due under this deed may on the certificate of **Head of Department** which shall be final, conclusive and binding on the Bounded be recovered fromhim as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the condition thereof the bounden has signed here under on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borneby the Government .

Signed by

(1) _____
 Address 21 Amroha
3012 Amroha

(2) _____
 Address 3120 K. G. Road
3012 Amroha

Am
 जलपद आयोधीश
 अमरोहा
 28 FEB 2020

Office of the District Judge
Gautam Budh Nagar

Dated: 07.03.2019

No Dues Certificate

This is to certify that **Dr. Ashok Kumar Singh-IV**, 1st Additional District & Sessions Judge Nagar from **26.04.2018** to **07.03.2019**, having no library books, furnitures, no amount related to Nazarat & Computer Items etc. of this Judgeship as per the office's reports.

The No Dues certificate is issued accordingly.

Photo Copy Attached

आहरण एवं निगरण अधिकारी
जनपद न्यायालय अमरोहा

28 FEB 2020

District Judge,
Gautam Budh Nagar.
District Judge
Gautam Budh Nagar

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी।

पत्रांक- 40/2019,

दिनांक- 12 जून, 2019,

अदेयता प्रमाण-पत्र

जजशिप सम्भल के समस्त संबंधित विभागों से प्राप्त आख्याओं के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० अशोक कुमार सिंह-IV, जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी पर जजशिप सम्भल से संबंधित कोई देय शेष नहीं है।

Photo copy D/Hested

पंडितजी
प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 12/6/19
सम्भल स्थित चन्दौसी
District Judge
Sambhal at
Chandausi

Swam
जनपद न्यायाधीश, सम्भल
कार्यालय अकरोडा

28 FEB 2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी।


अदेय प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय नाजिर, उपनाजिर, लेखा-लिपिक तथा पुस्तकालय लिपिक की आख्यानुसार डा० ए०के०सिंह-चतुर्थ, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० ०१, वाराणसी के वाराणसी जजशिप में तैनाती की अवधि के दौरान उनके जिम्मे किसी प्रकार की कोई शासकीय देयता शेष नहीं है।

जनपद न्यायाधीश
वाराणसी।
३१/१४

District Judge
Varanasi

Photocopy Attested.


आहरण एवं वितरण अधिकारी
जनपद न्यायालय अमरोहा

28 FEB 2020



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद

संख्या: जी०ई०-१/ग्रुप-१/अदेयता प्रमाण पत्र-६७/एल०आई०डी०-५१८३० /

दिनांक:

सूची में

- 1- सचिव नियुक्ति अनुभाग-६ एनैक्सी भवन
उ०प्र० शासन लखनऊ
- 2- सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२ एनैक्सी भवन
उ०प्र० शासन लखनऊ
- 3- सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-२
उ०प्र० शासन लखनऊ
- 4- निवन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

उपरोक्त श्री डा० अशोक कुमार सिंह, एच०जे०एस० को स्वीकृत मोटर कार अग्रिम रु० ८०,०००/- की अदायगी के सम्बन्ध में।

संज्ञक

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या- १४४४७ / IV-२४७५ / Admin (A) दिनांक- २३.१०.२००० के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर कार अग्रिम रु० ८०,०००/- के मूलधन की अदायगी मय इलाहाबाद के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी

संख्या: जी०ई०-१/ग्रुप-१/अदेयता प्रमाण पत्र-६७/एल०आई०डी०-५१८३० / ३११

दिनांक: ०७-०१-२०२०

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 2- डा० अशोक कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश, अमरोहा।

Photo Copy BPO

आहरण एवं वितरण अधिकारी
जिला न्यायालय अमरोहा

28 JAN 2020

06/01/2020

वरिष्ठ लेखाधिकारी

पान

अरविन्द मोहन निवासी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश थानना

सं. 10 म.

महानिबन्धक,
भा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

संख्या- 776/दो-4-2019-45(3)/2015

तारीख: दिनांक 14 दिसंबर 2019

विषय-
संशोधन

30प्र0 के न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत अंतर्गम राहत स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि 12 नवंबर 2015 संख्या-(सिविल) 643/2015 ऑन उण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत सरकार व अन्य में भा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-27-03-2018 के अनुपालन में 30प्र0 के न्यायिक अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 30 प्रतिशत अंतर्गम राहत दिनांक 01-01-2016 से अनुमत्य तथा इस संबंध में भुगतान तथा दिनांक 01-01-2016 से 30-04-2018 तक के एग्योर का भुगतान दिनांक 30-06-2018 से पूर्व नूनिशिव किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-640/दो-4-2018-45(3)/2015 दिनांक 11-06-2018 द्वारा प्रदान की गयी है। चूंकि अंतर्गम राहत की पेंशन हेतु मूल वेतन के रूप में एग्योर विनियम 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम- 9(21) में स्वतः सम्मिलित नहीं होती है। अतः 30प्र0 राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक-01-01-2016 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों को एग्योर शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ द्वारा दिनांक-01-01-2018 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत अंतर्गम राहत के आधार पर अनुमत्य किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-640/दो-4-2018-45(3)/2015, दिनांक 11-06-2018 के अन्तर्गम राहत विनियम किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मूल यह कहने का निदेश हुआ है कि अंतर्गम राहत केवल संशोधन की प्रत्याशा में अनुमत्य की जाती है तथा वेतन संशोधन में सम्मिलित नहीं जाती है। अतः वेतन एवं इस पर अनुमत्य अंतर्गम राहत को जोड़कर पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ स्वीकृत किये जाने में बाधना नहीं है। यह आदेश वेतन संशोधन संबंधी अन्तिम आदेश निर्गत होने की प्रत्याशा में इस प्रतिबंध को ग्राह्य निर्मित किये जा रहे हैं कि अविषय में वेतन संशोधन संबंधी अन्तिम आदेश निर्गत होने पर यथेष्ट समायोजन कर किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-सा-3-1064/दम-2019, दिनांक 06-12-2019 के द्वारा अर्थात् सद्व्यति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द मोहन निवासी)
विशेष सचिव।

संख्या- 776(2)/दो-4-2019, तदिनांक।

प्रतिभिति, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
महानिबन्धक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महानिबन्धक (लेखा एवं हस्तदारी) प्रथम, 30प्र0,
इलाहाबाद।